संख्या-297/2022/नौ-5-2023/001-Computer No 1480701-NPY

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्यास वाले शहर) योजना के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों की नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर) हेतु विभिन्न वित्तीय वर्षो में प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि का व्यय हो जाने के दृष्टिगत तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में **रू0 64.72 लाख (रुपये चौंसठ लाख बहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त/ शासनादेश दिनांक	द्वितीय किश्त/ शासनादेश दिनांक	तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2019-20	जनपद-नोएडा (गौतमबुद्धनगर) की नगर पंचायत रबूपुरा	61.72	25.00 19.12.2019	15.00 02.12.2021	21.72
2	2019-20	जनपद-महराजगंज, आनन्दनगर नगर पंचायत पेयजल योजना	116.59	40.00 19.12.2019	56.69 17.02.2022	19.90
3	2019-20	नगर पंचायत कटघर, जनपद-आजमगढ़ में पेयजल योजना	36.56	15.00 19.12.2019	10.00 02.12.2021	11.56
4	2019-20	नगर पंचायत जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ में पेयजल योजना	41.54	20.00 19.12.2019	10.00 02.12.2021	11.54
					कुल योग:-	64.72

रू0 64.72 लाख (रुपये चौंसठ लाख बहत्तर हजार मात्र)

-2-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।

(14) संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.07.2015 की शर्ते यथावत् रहेंगी।

(15) गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानकानुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के संबंधित अधिकारियों की होगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ /लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 64,72,000 (रुपये चौंसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2215011930300 नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर) **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:बी0एम0-9

भवदीय,
02.05.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-297/2022/नौ-5-2023/001-Computer No 1480701-NPY, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- संबंधित कोषाधिकारी।
7- संबंधित मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम।
8- संबंधित अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम।
9- संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
02.05.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A009-20222023-Computer No 1480701 NPY

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर) के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग
037	2215011920300 (नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर))	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	3,77,53,000 रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र	-64,72,000 रुपये चौंसठ लाख बहत्तर हजार मात्र	4,35,28,000

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग
037	2215011930300 (नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर))	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	15,00,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ मात्र	64,72,000 रुपये चौंसठ लाख बहत्तर हजार मात्र	15,64,72,000

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत टंकण त्रुटिवश बजट आंवटन हो जाने के कारण ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर) हेतु नगर पंचायत मद में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: **आरसंख्या.ई.–बजट-1-398 दिनांक 28.02.2023**

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

02.03.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

<u>संख्या :297/2022/नौ-5-2023 Computer no-1480701 दिनांक- 28 फरवरी, 2023</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।

2-महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।

3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

4-मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कम्पाउड, लखनऊ।

5-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1/2।

7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,
02.03.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव